State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

TelephTelephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्र./परिषद/क्रय/मेस केटरिंग/निविदा/2021–22/3034 रायपुर, दिनांक 22.09.2021

//मेस केटरिंग कार्य हेतु निविदा आमंत्रण//

एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर (छ.ग.) के मेस केटरिंग कार्य लिए वर्ष 2021–22 हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र की बिक्री/जमा करने/खोले जाने की तिथि एवं समय तथा स्थान की जानकारी निम्नानुसार है :–

1.	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अवधि –	दिनांक **24.09.2021** से **23.10.2021**	
2.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि –	दिनांक **23.10.2021**	**समय – अपरान्ह 03:00 बजे तक**
3.	निविदा खोलने की तिथि –	**दिनांक 23.10.2021** **स्थान** – मीटिंग हॉल **कक्ष क्र. 101**, एस.सी. ई.आर.टी.रायपुर(छ.ग.)	**समय– अपरान्ह 04.00 बजे से**

निविदा प्रपत्र, नियम एवं शर्तें तथा अन्य जानकारी केवल एस.सी.ई.आर.टी. के वेब साईट www.scert.cg.gov.in में से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र का मूल्य **रु. 1000/–** (अक्षरी रूपये एक हजार मात्र) है, यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी। ड्राफ्ट **संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर (छ.ग.)** के नाम से देय होगा। आवेदन पत्र के साथ ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

TelephTelephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

केटरिंग कार्य हेतु निविदा

पात्रता एवं अनुबंध की शर्ते

1 शासन द्वारा निषिद्ध अथवा अपात्र वेन्डर/संस्था योग्य नहीं होगें।

2 यदि वेन्डर के विरूद्ध किसी भी **न्यायालय में आपराधिक प्रकरण** लंबित है, अथवा किसी न्यायालय द्वारा विगत 03 वर्षों में दोष सिद्ध ठहराया गया हो तो ऐसे वेन्डर के निविदा विचार योग्य नही होगें।

3 वेन्डर के विरूद्ध किसी भी **बैंक/शासकीय संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही** लंबित हो अथवा किसी ठेकेदारी कार्य के लिए **ब्लेक लिस्टेड** किया गया हो तो ऐसे वेन्डर विचार योग्य नही होगें।

4 निविदा की न्यूनतम दर परिषद द्वारा निविदा में वर्णित गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री की वर्तमान में प्रचलित बाजार दर के आधार पर आकलन कर निर्धारित किया गया है, जिसकी जानकारी निविदा खोले जान के पूर्व सभी उपस्थित निविदाकारों को दे दी जावेगी। परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम की निविदा भरे जाने अथवा इस संबंध में त्रुटिपूर्ण निविदा प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। वेंडर द्वारा निविदा तीन अलग–अलग सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। पहले लिफाफे के ऊपर **'अमानत राशि'** लिखा जाएगा तथा दूसरे लिफाफे के उपर **'तकनीकी निविदा'** एवं तीसरे लिफाफा के ऊपर **'वित्तीय निविदा'** लिखा जायेगा। तीनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के भीतर रखकर सीलबंद कर एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) के निविदा बाक्स में निर्धारित अवधि में डाला जायेगा अथवा स्पीड पोस्ट से एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) को भेजा जायेगा, परन्तु ध्यान रहे कि जो भी **निविदा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होगी उसे नही खोला जावेगा।**

नोट – निविदा जमा करने का तात्पर्य यह होगा कि वेन्डर को एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) की सभी शर्ते मंजूर है। वेन्डर द्वारा प्रस्तुत निविदा प्रपत्र में **स्वतः द्वारा लिखें गए किसी भी अन्य शर्तो को मान्य नहीं किया जायेगा।**

वेंडर द्वारा तीनों लिफाफे में निम्नानुसार अभिलेख/दस्तावेज रखा जायेगा :–

(अ) पहला लिफाफा, अमानत राशि का लिफाफा :—

1. अमानत राशि वाले लिफाफा में डिमांड ड्राफ्ट रू. 1,00,000 / — (रू. एक लाख मात्र) का रखा जायेगा, जो संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) के नाम से देय होगा, जो कि सेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

टीप :— अमानत राशि के लिफाफे में 1,00,000 / — (रू. एक लाख मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट पाए जाने पर ही दूसरा लिफाफा अर्थात तकनीकी लिफाफा खोला जायेगा।

(ब) दूसरा लिफाफा तकनीकी निविदा :— इस लिफाफा में निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र भाग—1 को पूर्णतः भरकर प्रस्तुत किया जावेगा। तकनीकी निविदा के लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र भाग—1 के साथ ही निम्न अभिलेख / दस्तावेज रखना अनिवार्य है :—

1. फर्म / समिति / सोसायटी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
2. आयकर विभाग द्वारा आबंटित पेन PAN Number की छायाप्रति जो कि वेंडर के नाम से हो।
3. वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी GST का जीवित पंजीयन की छायाप्रति जो कि वेंडर / फर्म के नाम से हो।
4. शासकीय / अर्धशासकीय उपक्रम PSU (भारत सरकार, राज्य सरकार) द्वारा संचालित संस्थाओं में न्यूनतम 02 वर्ष का मेस केटरिंग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।
5. निविदाकार संस्था / फर्म का विगत 02 वर्षो का टर्न ओवर जिसमें से **प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम रु. 25 लाख (रु. पच्चीस लाख) केटरिंग कार्य का टर्नओवर** (जिसका चार्टडेट एकाउन्टेट का सत्यापन प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. निविदाकार का 100 / — रू. के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित **शपथ पत्र**। (संलग्न प्रपत्र में)।
7. खाद्य एवं औषधी नियंत्रक विभाग द्वारा जारी फूड लाइसेंस की छायाप्रति।
8. उपरोक्तानुसार उल्लेखित तकनीकी निविदा में प्रस्तुत की जाने वाली अनिवार्य दस्तावेज बाबत् शासन द्वारा छूट प्राप्त हो तो शासनादेश की प्रति।
9. FSSAI का जीवित पंजीयन।
10. प्रपत्र भाग—1 संलग्न में दस्तावेज की सूची।

टीप :– तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र भाग–1 के साथ ही वांछित **01 से 09** तक सभी अभिलेख एवं दस्तावेज सुस्पष्ट एवं पठनीय पाए जाने पर ही तीसरा अर्थात **वित्तीय निविदा** खोला जायेगा।

(स) तीसरा लिफाफा वित्तीय निविदा :– इस लिफाफे में प्रपत्र भाग–2 कों पूर्णतः भरकर प्रस्तुत किया जावेगा। वित्तीय निविदा के लिफाफे में वेंडर द्वारा निम्नलिखित खाद्य/पेय सामाग्रियों के लिए प्रस्तुत की जाने वाली दर की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में अंकित किया जाना अनिवार्य है :–

(1) ब्रेक फास्ट (2) लंच (3) डिनर (4) चाय/काफी बिस्कुट सहित प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का पृथक–पृथक दर रूपये में निर्धारित कालम में प्रस्तुत किया जावे। तत्पश्चात उक्त 04 आयटमों की दर का कुल योग अंकित किया जावे।

नोटः–(1) **वेंडर द्वारा प्रस्तुत दर में शासन को देय समस्त कर शामिल कर निविदा प्रस्तुत किया जावे।**

(2) **हाई टी, व्ही.आई.पी. भोजन, अप्रतिभागियों के खाद्य पदार्थ, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की विक्रय दरें, निविदा प्रक्रिया में शामिल नहीं होगी। L_1 को कार्य आबंटन पश्चात् वेंडर एवं परिषद् की आपसी सहमति से दरें निर्धारित की जा सकेंगी।**

चयन का आधार :–

(i) वेन्डर द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दरों की गणना के लिये :–

(1) नास्ता (2) लंच (3) डिनर (4) चाय–काफी (बिस्कुट सहित) खाद्य सामाग्रियों पर होने वाले **कुल व्यय के आधार पर गणना किया जावेगा।**

(ii) वेन्डरों द्वारा समान दर पर निविदा प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में समान दर वाले वेन्डरों के द्वारा सामग्रियों से प्रत्यक्ष में भोजन (लंच) तैयार कर एस.सी.ई.आर.टी. में गठित क्रय समिति के समक्ष डेमो/प्रदर्शन किया जाना अनिवार्य होगा, डेमो प्रदर्शन हेतु खाद्य सामग्री निविदादाता को स्वतः लाना होगा उपयुक्त डेमो के आधार पर क्रय समिति के द्वारा केटरर्स का चयन किया जायेगा। क्रय समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

अनुबंध का निष्पादन :–

1. वेन्डर को केटरिंग कार्य स्वीकृत होने पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व 100/– रूपये का नॉन–ज्युडिशियल स्टांप पेपर में कार्य की शर्तों का पालन हेतु एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर (छ.ग.) द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा।
2. संपूर्ण कार्यावधि में सदैव गरम भोजन प्रदाय करने हेतु आवश्यक उपकरण सफल निविदाकार द्वारा स्वयं के व्यय पर लगवाना होगा।
3. अनुबंध की शर्तों की पूर्ति ना होने की स्थिति में वेंडर की अमानत/सुरक्षानिधि, आंशिक/पूर्ण रूप से एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा राजसात की जायेगी।
4. केटरिंग कार्य का अनुबंध निष्पादित होने की तिथि से **एक वर्ष की अवधि** के लिए होगा। इसे दोनो पक्षकारों में से किसी एक पक्ष द्वारा **01 माह** की पूर्व सूचना पर भंग किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में अनुबंध निरस्त होने के पश्चात् नवीन अनुबंध होने एवं उसके क्रियाशील होने तक वर्तमान अनुबंधकर्ता को पूर्व अनुबंधित शर्तों एवं दरों पर मेस सेवा प्रदाय करना बाध्यकारी होगा, अन्यथा उसके द्वारा जमा की गई सुरक्षानिधि आंशिक/पूर्ण रूप से राजसात की जायेगी। एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) के साथ अनुबंध निष्पादित करने के पश्चात् वेंडर अनुबंधकर्ता कहलाएगा।
5. अनुबंधकर्ता का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबंध की अवधि **आगामी एक वर्ष** तक के लिये **दोनों पक्षों की सहमति** से बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।
6. सफल निविदाकार को खाद्य वस्तुओं के निम्नानुसार ब्रांडो का उपयोग करेंगे। सभी ब्रांड एगमार्क होना अनिवार्य है –

क्र.	समग्री का नाम	ब्रांड
1.	आटा	शरबती गेहूँ का चक्की का पिसा हुआ।
2.	चावल	बासमती, दुबराज, विष्णुभोग, कालीमूँछ
3.	दाल (अरहर)	फ्लाईंग हार्स, पिपरिया, लोकल सुपर बाजार
4.	खाद्य तेल रिफाइंड (सूर्यमुखी)	धारा/फार्चून/सनड्राप
5.	शुद्ध घी	देवभोग/अमूल/मदर डेयरी
6.	शक्कर	लोकल सुपर बाजार
7.	सभी प्रकार के मसाले	एम.डी.एच./एवरेस्ट/रामदेव/बादशाह
8.	जीरा	किसान
9.	अमचूर	लाजवाब
10.	टोमेटोसॉस	किसान/मैंगी
11.	चायपत्ती	ताज महल/रेडलेबल/टाटा गोल्ड

12.	कॉफी	नेशकेफे / ब्रू
13.	दूध	देवभोग / अमूल
14.	आइसक्रीम	अमूल / दिनशॉ / केप्स
15.	ब्रेड	ए वन / मार्डन एवं अन्य समकक्ष ब्रांड
16.	बटर	अमूल / ब्रिटानिया / मदर डेयरी
17.	पापड़	लिज्जत / बीकानेरी
18.	अचार	मदर्श / प्रिया एवं अन्य समकक्ष ब्रांड
19.	चिली सॉस	विंग / मैंगी
20.	सूजी, रवा, बेशन	जवरा गोल्ड / लोकल सुपर बाजार
21.	नमक	टाटा / अन्नपूर्णा / आशीर्वाद
22.	जेम	टॉप्स / किसान / मैंगी
23.	बिस्कुट	गुड डे / मैरी गोल्ड एवं अन्य समकक्ष ब्रांड
24.	शुगर पाउच	डी.सी.एम. / श्रीराम एवं अन्य समकक्ष ब्रांड
25.	मिल्क पाउडर	नेस्ले / अमूल
26.	टी बैग	ताजमहल / टाटा गोल्ड या समकक्ष ब्रांड
27.	मिनरल वाटर	बिसलरी / सूर्या / शिवनाथ

नोट – इन सामग्रियों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार परिषद द्वारा निर्धारित ब्रांडों की अन्य सामग्रियों के उपयोग की बाध्यता सफल निविदाकार की होगी।

अनुबंध की अन्य शर्ते :–

7. अनुबंधकर्ता द्वारा शिकायत पुस्तिका डायनिंग हाल मे अनिवार्यतः रखी जावेगी जो सप्ताह के अंत मे प्रभारी अधिकारी / अधीक्षक अतिथिगृह के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. अनुबंधकर्ता द्वारा मेस कार्यों के निष्पादन हेतु अधिकतम कर्मचारी लगाये जावेंगें जो मेस कार्यो के लिए प्रशिक्षित हो, अप्रशिक्षित कर्मचारियो को नहीं रखा जावेंगा। मेस / किचन में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों की समस्त व्यवस्था अनुबंधकर्ता द्वारा स्वयं की जायेगी।

9. अनुबंधकर्ता को मेस संचालन के लिये नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की सूची, पूर्ण पता, परिचय पत्र एवं पुलिस वेरीफिकेशन सहित दस्तावेज परिषद के केंटिन प्रभारी अधिकारी को कार्य प्रारंभ के 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा तथा कर्मचारियों के परिवर्तन की दशा में समान प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

10. अनुबंधकर्ता द्वारा अपने नियोजित कर्मचारियों को एक समान वर्दी दी जावेगी जिसे

पहनकर वे कार्य पर आयेगें। सभी कर्मचारियों के यूनिफार्म में **नाम पट्टिका** एवं **परिचय पत्र** लगाना अनिवार्य होगा। कर्मचारियों के यूनिफार्म साफ–सुथरे एवं नाखून, बाल साफ एवं कटे होना चाहिए। भोजन पकाने एवं परोसने वाले कर्मचारियों के लिये सर ढका **(कैप)** होगा तथा उन्हें **दस्ताने** एवं **एप्रन** का उपयोग करना अनिवार्य होगा। कैप एवं एप्रन की व्यवस्था सफल वेन्डर द्वारा स्वतः की जावेगी। सभी कर्मचारियों को ड्रेस सफल वेन्डर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

11. अनुबंधकर्ता को **मेस मैनेजर** भी नियोजित करना होगा जो कि मेस कार्य की देखरेख करेगा एवं व्यवस्था बनाए रखेगा। मेस मैनेजर को कार्यावधि में मेस में उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा। मेस मैनेजर को पद की गरिमा के अनुरूप **उपयुक्त ड्रेस** में रहकर व्यवस्था की उचित देख रेख करनी होगी। मेस मेनेजर को ड्रेस अनुबंधकर्ता द्वारा ही उपलब्ध कराया जायेगा।

12. अनुबंधकर्ता द्वारा मेस केटरिंग कार्य हेतु लगाए गए सभी मेस सुपरवाइजर/कर्मचारियों का व्यवहार फैकल्टी/कर्मचारियों/प्रशिक्षणार्थियों के साथ विनम्र तथा त्वरित सेवा के लिये सदैव तत्पर रहना होगा। शिथिलता की शिकायत पर अनुबंधकर्ता को तत्काल कार्यवाही करना होगा।

13. अनुबंधकर्ता को लंच हेतु मेस में **बुफे/सर्विस प्वाइंट** लगाना अनिवार्य होगा एवं प्रतिभागियों की संख्या 150 से ऊपर होने पर **02 बुफे/सर्विस प्वाइंट** लगाना होगा तथा 200 प्रतिभागियों से उपर होने पर **तीसरा बुफे/सर्विस प्वाइंट** लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक बुफे प्वाइंट पर एक सुपरवाइजर की व्यवस्था करना होगा जो कि मेस कार्य हेतु लगाए गए कर्मचारियों एवं मेस मैनेजर के अतिरिक्त होगें। एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) के मुख्य भवन में प्रशिक्षण आयोजित होने पर प्रशिक्षणार्थी/अतिथियों हेतु प्रशिक्षण कक्ष के बाहर विंग में चाय/काफी पाईन्ट लगाना होगा।

14. अनुबंधकर्ता को केटरिंग कार्य में नियोजित अकुशल श्रमिकों को शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित **न्यूनतम मजदूरी का भुगतान** नहीं करने पर एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) द्वारा केटरिंग का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

15. अनुबंधकर्ता को श्रम संबंधी समस्त कानूनों का पालन स्वयं करना होगा इस हेतु पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी। जैसे–The Payment of wages Act 1936, The Employment

of Children Act 1938, The Industrial Employment Act 1946, The Minimum wages Act 1948, The Employees State Insurance Act 1948, The Employee Provident Fund Act 1952, The Payment of Bonus Act 1965, The Contract Labour Abolition & Regulation Act 1970, The payment of Gratuity Act 1972

16. शासन द्वारा निर्धारित समस्त टैक्स जैसे – Income Tax, EPF व ESI जमा राशि, बोनस, बीमा, अवकाश वेतन, सर्विस टैक्स, इत्यादि का भुगतान निविदाकार द्वारा स्वयं की राशि से किया जायेगा। शासन को अदा किये गये सर्विस टैक्स की रसीद प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

17. **निविदा समिति को न्यूनतम निविदा दर स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होगी।**

18. अनुबंधकर्ता किचन एवं भोजन परोसने के क्षेत्र अर्थात डायनिंग हाल तथा उसके आसपास एवं इसमें लगे टेबल, कुर्सियों व इसमें लगे अन्य उपकरणों की साफ–सफाई तथा स्वच्छता के लिए जवाबदार होगा।

19. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जावेगा, गुणवत्ता की जांच हेतु गठित समिति के सदस्य समय–समय पर निरीक्षण करेंगे एवं रिपोर्ट संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) को देंगे।

20. परिषद द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री/उपकरण इत्यादि का किराया रु. 500/– (अक्षरी रु. पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह, विद्युत खपत की वास्तविक राशि प्रतिमाह एवं जल कर की राशि रु. 500/– (अक्षरी रु. पाँच सौ मात्र) प्रतिमाह की दरों पर परिषद के लेखा शाखा में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा सफल निविदाकार के देयक से उक्त राशि की कटौती किया जायेगा।

21. अतिथिगृह में अनुबंधकर्ता को आवश्यकता होने पर नान ए.सी. कक्ष रु. 5000/– (अक्षरी रु. पाँच हजार) मात्र मासिक किराया पर परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा।

22. घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

23. मेस भवन में अनुबंध की शर्तों, साप्ताहिक मीनू विवरण, भोजन की दरें, अतिरिक्त विक्रय योग्य सामग्री का दर सहित विवरण, फ्लैक्स में तैयार कर रखना होगा। अनुबंधकर्ता को प्रत्येक दिन के चाय, नाश्ता, लंच, डिनर के मीनू को सूचना बोर्ड पर डिस्पले करना होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन अधीक्षक अतिथिगृह/छात्रावास के बगैर अनुमति से नहीं किया जायेगा। **निविदा की अनुमोदित दरों पर अधीनस्थ संस्थाओं, शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, डाईट रायपुर को आपूर्ति/विक्रय किया जाना अनिवार्य होगा।**

24. अनुबंधकर्ता को अन्य विभागों/बाहरी संस्थाओं के लिए आपूर्ति व्यवस्था के लिये प्रभारी अधिकारी, मेस/अधीक्षक की अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी।

25. अतिथिगृह/छात्रावास में निवास कर रहे प्रशिक्षणार्थियों को चाय, नाश्ता, लंच, शाम की चाय/नास्ता एवं डिनर का समय निम्नानुसार निर्धारित रहेगा :-

(i) प्रातः की चाय/कॉफी – प्रातः 06.00 से 07.00 बजे तक (छात्रावास में)

(ii) नास्ता एवं चाय/कॉफी– प्रातः 08.00 से 09.30 बजे तक (छात्रावास में)

(iii) क्लास रूम की चाय/काफी बिस्कुट – 11:15 से 11.30 एवं 3.30 से 3.45 तक (प्रशिक्षण कक्ष के बाहर निर्धारित पांईट पर)

(iv) लंच – दोपहर 01.30 से 02.30 बजे तक (छात्रावास डायनिंग हॉल में)

(v) शाम की चाय/कॉफी – सायंकाल 05.30 से 06.30 बजे तक (छात्रावास में)

(vi) डिनर – रात्रि 08.00 से 09.30 बजे तक (छात्रावास डायनिंग हॉल में)

26. बाहरी संस्थाओं के सेमीनार हेतु लंच का समय दोपहर 2.00 बजे के बाद निर्धारित किया जावेगा। आवश्यकता अनुसार परिषद, लंच के समय में परिवर्तन कर सकेगा।

27. विशेष आयोजनों में आपूर्ति हेतु समय निर्धारण एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) द्वारा किया जायेगा।

28. एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रथम दिवस के लिये प्रशिक्षणर्थियों/अतिथियों को नाश्ता की व्यवस्था प्रातः 10.00 बजे तक किया जाना अनिवार्य होगा एवं आवश्यकतानुसार कार्यक्रम स्थल में ही आपूर्ति करना होगा।

29. अनुबंधकर्ता एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण तथा अन्य सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रतिभागियों के नास्ता, लंच, डिनर, शाम की चाय काफी नास्ता क्लास रूम की दो समय की चाय, बिस्कुट, रात्रि का भोजन तथा निर्देशानुसार विशेष लंच, डिनर का बिल नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में प्रभारी अधिकारी अतिथिगृह/छात्रावास के माध्यम से एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत करेंगे। प्रपत्र में उपयोगकर्त्ताओं के **हस्ताक्षरयुक्त उपस्थिति अनिवार्य होगी जिसे परिषद प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है।**

30. अनुबंधकर्ता द्वारा परिषद की अधोसंरचना का उपयोग करने वाले विभागों एवं संस्थाओं में आमंत्रित लोगों के लिये भोजन, नाश्ता एवं चाय कॉफी आदि की एस.सी.ई.आर.टी.

रायपुर (छ.ग.) द्वारा निर्धारित दरों पर ही की जायेगी। अगर इन संस्थाओं/विभागों द्वारा अतिरिक्त व्यंजनों की मांग की जाती है तो सफल वेन्डर अपने स्तर पर विभाग/संस्था से समन्वय कर उसकी दर निर्धारित करेगा तथा उसका भुगतान सीधे आयोजनकर्ताओं से प्राप्त करेगा। अन्य संस्थाओं को आपूर्ति के एवं भुगतान से परिषद का कोई संबंध नहीं होगा।

31. अनुबंधकर्ता रात्रि के समय अथवा आवश्यकता पड़ने पर मीनू में दर्शाए समाग्री के अतिरिक्त दूध, चाय, स्नैक्स इत्यादि प्रशिक्षणर्थियों/अतिथियों को उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए निविदा मे स्वीकृत दरों के आधार पर उनसे राशि ले सकेगा। सामग्री उच्च गुणवत्ता वाले FPO मार्का का होना चाहिए एवं MRP दर में प्रदाय करना होगा।

32. अनुबंधकर्ता को डायनिंग हाल के वॉशबेसिन में हाथ धोने के लिये लिक्विड सोप, तौलिये की व्यवस्था स्वयं करना होगा।

33. जूठे और बचे हुए खाद्य पदार्थ को जैविक खाद में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक उपकरण अनुबंधकर्ता द्वारा लगाना होगा।

34. अनुबंधकर्ता को प्रत्येक दिवस मेनू के अनुसार ही खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ प्रदाय की जाने की बाद्धता होगी। **खाद्य सामग्री की सूची एवं अनुबंध की शर्तों को फ्लेक्स के द्वारा मेस में प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।**

35. एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) में प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति होने वाले प्रशिक्षणार्थियों की **वास्तविक संख्या के आधार पर देयक** का भुगतान होगा।

36. छात्रावास में रहने वाले प्रशिक्षु के भोजन का देयक रविवार तथा मुख्यालय से बाहर या भ्रमण की स्थिति में एक दिन पूर्व सूचना के आधार पर वास्तविक संख्या के आधार पर भुगतान किया जायेगा। आवश्यकता अनुसार **प्रशिक्षणार्थियों की मांग पर दूध उपलब्ध कराया जायेगा जिसका भुगतान स्वयं उपयोगकर्त्ता करेंगे।**

37. यदि प्रतिभागी उपवास पर है, तो उनको फल एवं दूध उनकी दैनिक भोजन व्यय की पात्रता राशि के अनुसार करना अनिवार्य होगा।

38. खाद्य सामग्री परोसने के लिए अच्छे बर्तन एवं क्राकरी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना चाहिए हाई–टी तथा विशेष अवसरों के लिए क्राकरी, प्लेट, बाउल आदि अलग से रखे जाने होंगें ।

39. अनुबंधकर्ता को मेस हेतु एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रदायित समस्त सामग्रियों को समुचित तरीके से संधारण / रख–रखाव स्वयं करना होगा एवं मेस एवं डायनिंग हॉल में उपलब्ध समस्त फर्नीचर, पर्दे, उपकरण एवं आंतरिक साज–सज्जा का समुचित रख–रखाव एवं टूट फूट की जिम्मेदारी होगी तथा एस.सी.ई.आर.टी. को हुई किसी भी प्रकार की क्षति की वसूली अनुबंधकर्ता द्वारा प्रस्तुत देयक से कटौती कर की जावेगी।

40. अनुबंधकर्ता द्वारा मेस में उपयोग की जा रही खाद्य सामाग्रियों का मेस कमेटी द्वारा सतत निरीक्षण किया जायेगा, यदि घटिया किस्म की खाद्य सामाग्री उपयोग किया जाना पाया गया तो अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

41. परिषद द्वारा प्रदत्त उपकरण खराब होने की स्थिति में उसके सुधार कार्य अनुबंधकर्ता को स्वयं के व्यय से कराना होगा।

42. निरीक्षण के दौरान रसोई, गृह एवं डायनिंग हॉल की साफ–सफाई व्यवस्था में कमी अथवा स्टाफ, वेटर्स तथा सुपरवाइजर्स आदि के द्वारा डायनिंग हाल की खिड़कियों, सीढ़ियों तथा किचन के आसपास पान, गुटका आदि थूकनें संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत प्रमाणित होने पर राशि रूपये 500 / –प्रति शिकायत की दर से अनुबंधकर्ता के द्वारा प्रस्तुत देयक से राशि का कटौत्रा किया जायेगा।

43. उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन पर अनुबंधकर्ता को नोटिस जारी की जायेगी, संतोषप्रद जवाब ना होने की स्थिति में **प्रथम बार की त्रुटि के लिए राशि रूपये 1000 / – दूसरी बार के लिए रूपये 5000 / –** तथा **तीसरी बार के लिए रूपये 10,000 / –** बतौर अर्थदण्ड लिया जायेगा। इसके बाद भी सुधार न लाये जाने पर निविदाकार का अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

44. अनुबंधकर्ता को चाय, नास्ता, लंच, डिनर, आदि की गुणवत्ता बनाये रखना प्रत्येक दशा मे सुनिश्चित करना होगा। फीडबैक अथवा निरीक्षण मे भोजन, चाय आदि की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर यह माना जायेंगा की सेवा प्रदायकर्ता द्वारा शर्तो का पालन नही किया जा रहा है। ऐसा पाये जाने पर अनुबंध समाप्त कर स्वीकृत निविदा निरस्त की जा सकेगी इस संबंध में एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) को होने वाले नुकसान की वसूली की जावेगी तथा भविष्य के कार्यो के लिए ब्लेकलिस्ट कर दी जायेगी एवं इस स्थिति में उसी क्रम मे अन्य निविदाकार (L-2,L-3……) न्यूनतम दर (L-1) पर कार्य

करने पर सहमत हो तो उन्हे कार्य दिया जा सकेगा।

45. अनुबंधकर्ता को एस.सी.ई.आर.टी. में आयोजित होने वाले समीक्षा बैठकों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बैठक में उपस्थित नहीं होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

46. अनुबंधकर्ता को छात्रावास भवन में डेली नीड्स के सामान, साबुन, तेल, टूथ ब्रस, पेस्ट, रेजर ब्लेड, बिस्किट, पानी बॉटल जैसे सामग्री रखना अनिवार्य होगा जिसे MRP दर पर विक्रय करेगा तथा निविदा अनुबंध के अतिरिक्त दर्शाई गई खाद्य सामाग्रियों को नगद राशि पर प्रशिक्षणार्थियो के क्रय हेतु रखा जायेगा।

47. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त आवश्यक होने पर अतिरिक्त शर्तों को जोड़ा जा सकेगा।

48. अनुबंधकर्ता द्वारा भोजन, नाश्ता, चाय, दूध आदि की गुणवत्ता बनाये रखने में या मेस में एवं भोजन पकाने एवं परोसने (Serve) में स्वच्छता सुनिश्चित करने या मेस का संचालन करने में कोई त्रुटि या लोप किया जाता है और फलस्वरूप मेस संचालन का कार्य किसी उच्च दर वाले सेवा प्रदाता से कराने की मजबूरी आती है तो परिषद में होने वाली आर्थिक हानि की वसूली अनुबंधकर्ता के देयक से व राशि ज्यादा होने पर अमानत राशि से काटी जायेगी। अमानत राशि से कटौती की स्थिति में अनुबंधकर्ता उतनी राशि एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) में जमा कराएगा ताकि अमानत राशि का स्तर यथावत बना रहे।

49. **किसी भी निविदा को बगैर कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।**

50. किसी भी प्रकार की वाद–विवाद की स्थिति में **संचालक, एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा एवं वेन्डर पर बाध्यकारी होगा।**

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर (छ.ग.)

State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

TelephTelephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

केटरिंग कार्य हेतु तकनीकी निविदा

प्रपत्र भाग–1

1	फर्म / समिति / सोसायटी का पूरा नाम एवं पता	....
2	प्रोपाइटर / फर्म / समिति / सोसायटी के स्वामित्व / अध्यक्ष का नाम एवं पूर्ण पता टेलीफोन / मोबाईल / ई मेल (सहित)	....
3	आवेदक फर्म / समिति / सोसायटी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र / फर्म एवं संस्था / सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक सहित छायाप्रति संलग्न करें।	पंजीयन क्र. – .... दिनांक – .... छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं – ....
4	आयकर विभाग द्वारा जारी फर्म को पेन नम्बर का क्रमांक (आबंटित पेन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें)	पेन नं. – .... छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं ....
5	आवेदक का जीवित जी.एस.टी. पंजीयन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें)	जी.एस.टी. नं. – .... छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं ....
6	खाद्य एवं औषधी नियंत्रक विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।	छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं ....
7	शासकीय / अर्धशासकीय उपक्रम PSU (भारत सरकार, राज्य सरकार) द्वारा संचालित संस्थाओं में न्यूनतम 02 वर्ष का मेस केटरिंग कार्य का अनुभव (अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं ....
8	केटरिंग कार्य से संबंधित विगत 02 वर्षों का टर्न ओवर (चाटर्ड एकाउण्टेंट द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।)	वर्ष — राशि (लाख में) 2018–19 .... 2019–20 ....

9	100 रू. का नॉन–ज्युडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित संलग्न निर्धारित प्रारूप में शपथ–पत्र मूलतः प्रस्तुत करें। (प्रपत्र में संलग्न करें)	छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं ....
10	**FSSAI** द्वारा जारी फूड लायसेंस / अनुज्ञप्ति का जारी दिनॉक तथा वैधता की तिथि (छायाप्रति संलग्न करें।)	लायसेंस जारी दिनांक – .... वैधता दिनांक – .... छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं ....
11	क्या आवेदक के विरूद्ध किसी न्यायालय में	(हाँ) .... (नहीं) ....
A	आपराधिक प्रकरण लंबित हो तो उसकी जानकारी:– यदि हाँ तो प्रकरण का विवरण देवें	....
B	क्या आवेदक के विरूद्ध किसी बैंक अथवा शासकीय संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही की गई है। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण देवें	(हाँ) .... (नहीं) ....
C	क्या आवेदक को कभी किसी ठेकेदारी कार्य के लिए ब्लैक लिस्टेड किया गया है / अयोग्य ठहराया गया है यदि हाँ तो पूर्ण विवरण देवें	(हाँ) .... (नहीं) ....
12	GST वर्ष 2020–21 विवरणी की छायाप्रति संलग्न करें।	छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं ....
13	तकनीकी निविदा में पेश किये जाने वाले दस्तावेज में यदि कोई शासन द्वारा छूट प्राप्त हो तो शासनादेश की छायाप्रति	हाँ / नहीं .... छायाप्रति संलग्न–हाँ / नहीं ....
14	अमानत राशि का विवरण	ड्राफ्ट क्रमांक .... जारी दिनांक .... राशि रू. .... बैंक का नाम ....
15	तकनीकी निविदा में रखे जाने वाला अभिलेख / दस्तावेजों की सूची। (संलग्न करें)	संलग्न – क्र. ....से ....तक

दस्तावेजों की सूची

सरल क्रमांक	नाम दस्तावेज / प्रपत्र	पृष्ठ क्रमांक
1	फर्म / समिति / सोसायटी का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र	
2	केटरिंग कार्य का विगत 02 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र	
3	पेन नंबर की छायाप्रति	
4	जीवित जी.एस.टी. पंजीयन की छायाप्रति	
5	FSSAI का वर्तमान प्रचलित आदेश की प्रति	
6	विगत तीन वर्ष (2017–18, 2018–19, 2019–20) का टर्न ओवर) इनमें से प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम रु. 25 लाख (रु. पच्चीस लाख मात्र) का टर्न ओवर हो(जो कि चार्टड एकाऊँटेंट से सत्यापित हो)	
7	100 / – रू. नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में (नोटरी द्वारा सत्यापित) शपथ पत्र	
8	तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज में यदि शासन द्वारा कोई छूट प्राप्त हो तो शासनादेश की छायाप्रति	
9	खाद्य एवं औषधी नियंत्रक विभाग द्वारा जारी फूड लायसेंस की छायाप्रति संलग्न करें।	
10	अन्य दस्तावेज (सूचीबद्ध)	

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

फर्म की सील ....

(यह सूची तकनीकी निविदा पत्र प्रारूप भाग–1 के ऊपर संलग्न किया जाना है एवं दस्तावेजों में पेज संख्या का उल्लेख करें।)

//शपथ–पत्र//

मैं ....पिता..

उम्र...................निवासी...जिला...............................

शपथ पूर्वक प्रमाणित करता हूँ कि मैं/मेरी फर्म/संस्था ....द्वारा एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग., रायपुर में मेस केटरिंग कार्य हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है। यह कि मेरे फर्म/संस्था/सोसायटी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण लंबित नही हैं। किसी न्यायालय द्वारा विगत 03 वर्षो में किसी भी मामले में दोष सिद्ध नहीं ठहराया गया हैं किसी भी बैंक अथवा शासकीय संस्था द्वारा वसूली की कार्यवाही नहीं की गई है एवं मुझे केटरिंग कार्य के लिए कभी भी ब्लेक लिस्टेट नही किया गया है। निविदा प्रपत्र में सभी जानकारी मेरे द्वारा स्वतः भरी गई है जो कि पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक है। किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर अथवा एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग., रायपुर में केटरिंग कार्य की शर्तों के पालन न करनें पर मैं/हमारी संस्था/फर्म स्वयं उत्तरदायी होगी तथा संचालक एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग., रायपुर द्वारा मेरे/संस्था/फर्म के विरूद्ध किसी भी वैधानिक कार्यवाही करने अथवा मेस केटरिंग का ठेका निरस्त किए जाने एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत जमानत की सम्पूर्ण राशि राजसात किए जाने हेतु सक्षम होगी। एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग., रायपुर द्वारा निविदा में उल्लेखित कार्य की सभी शर्ते मुझे पूर्णतः स्वीकार्य हैं एवं अनुबंध के पूर्णपालन हेतु मैं वचनबद्ध हूँ।

दिनाँक ....

स्थान ....

हस्ताक्षर

पूरा नाम....................................

शपथकर्ता का फर्म/संस्था का नाम

एवं पता (सील सहित) ....

....

....

....

State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

TelephTelephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

केटरिंग कार्य हेतु वित्तीय निविदा

प्रपत्र भाग–2

आवेदक का नाम एवं दूरभाष क्र. ....

....

....

निविदा की प्रस्तावित दरें

विवरण	दिन	प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री का विवरण	प्रति व्यक्ति प्रति दिन दर
1. नास्ता सामान्य	सोमवार	ब्रेड + बटर + सॉस + जेम बड़ा + नारियल चटनी + सांभर + चाय, काफी	
	मंगलवार	कार्न फ्लैक्स + दूध 100 एम.एल. पोहा + जलेबी, चाय, काफी	
	बुधवार	ब्रेड + बटर + सॉस + जेम ब्रेड पकौड़ा + चाय, काफी	
	गुरूवार	कार्न फ्लैक्स + दूध 100 एम.एल. छोले भटूरे + चाय, काफी	
	शुक्रवार	ब्रेड + बटर + सॉस + जेम वेजीटेबल पराठा + सब्जी + चाय, काफी	
	शनिवार	कार्न फ्लैक्स + दूध 100 एम.एल. इडली + सांभर + नारियल चटनी + चाय, काफी	
	रविवार	ब्रेड + बटर + सॉस + जेम पूड़ी + सब्जी + चाय, काफी	
शब्दों में			
2. लंच सामान्य	सोमवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल मीठा – **गुलाबजामुन** + मौसमी फल/01 केला	
	मंगलवार	तुअर दाल, राजमा सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही वेज रायता, चावल, मीठा – **कलाकंद** + मौसमी फल/01 केला	
	बुधवार	तुअर दाल, पनीर सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बड़ा रायता, चावल, मीठा–**आइस्क्रीम वनीला** (60 ग्राम) + मौसमी फल/01 केला	

	गुरूवार	तुअर दाल, मसूर खड़ा की सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल, मीठा – **मूंग हलवा** (100 ग्राम) + मौसमी फल / 01 केला	
	शुक्रवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही वेज रायता, चावल, मीठा – **खीर** (100 एम.एल.) + फ्रूट सलाद (100 ग्राम)	
	शनिवार	तुअर दाल, छोले आलू सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बड़ा रायता, चावल, मीठा – **आइस्क्रीम** (60 ग्राम)	
	रविवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं आलू जीरा सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़, अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल, मीठा – **फ्रूट सलाद** (150 ग्राम)	
शब्दों में			
3. डिनर सामान्य	सोमवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़अचार, सलाद, दही वेज रायता, चावल, मीठा – **कस्टर्ड** (150 ग्राम)	
	मंगलवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल मीठा – **मौसमी फल** (केला छोड़कर)	
	बुधवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़ अचार, सलाद, कढ़ी पकौड़ा, चावल, मीठा – **सेवई खीर** (100 एम.एल.)	
	गुरूवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़अचार, सलाद, दही रायता, चावल मीठा – **मौसमी फल** (केला छोड़कर)	
	शुक्रवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़ अचार, सलाद, कढ़ी पकौड़ा, चावल मीठा – **मूंगदाल का हलवा** (100 ग्राम)	
	शनिवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़ अचार, सलाद, दही बूंदी रायता, चावल मीठा – **मौसमी फल** (केला छोड़कर)	
	रविवार	तुअर दाल, मौसमी सब्जी रसेदार एवं मौसमी सूखी सब्जी, प्लेन चपाती, पापड़अचार, सलाद, कढ़ी पकौड़ा, चावल मीठा – **चावल+दूध का खीर**	
शब्दों में			

4. सुबह की चाय पूर्वान्ह की चाय/काफी + बिस्किट अपरान्ह की चाय/कॉफी + बिस्किट शाम की चाय/काफी + बिस्किट	प्रतिदिन	चाय, काफी (60 एम.एल.) + 04 बिस्किट	
अ.		(कुल 1+2+3+4) चारो आयटम का कुल योग	
शब्दों में–			

नोट – **(1)** एस.सी.ई.आर.टी. के बाहर रायपुर नगर में आयोजित कार्यक्रम हेतु भोजन (सुबह की चाय से रात्रि भोजन) कुल राशि पर 15% (पन्द्रह प्रतिशत) एवं रायपुर से बाहर प्रति पूर्ण भोजन हेतु कुल राशि पर 20% (बीस प्रतिशत) अतिरिक्त भुगतान परिषद् द्वारा देय होगा। परिषद से बाहर आपूर्ति हेतु आवागमन का व्यय स्वयं अनुबंधकर्ता का होगा।

(2) चाय/काफी बिना शक्कर का विकल्प रखना एवं साथ में शुगर फ्री की गोली की व्यवस्था अनिवार्य होगा।

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

फर्म की सील ....

(A) व्ही.आई.पी. भोजन (लंच / डिनर)

स.क्र.	सामग्रियों का नाम	दर (प्रति प्लेट / व्यक्ति)	स.क्र.	सामग्रियों का नाम	दर (प्रति प्लेट / व्यक्ति)
1	दाल फ्राई		11	पापड़	
2	मौसमी सब्जी सूखी		12	सलाद	
3	पनीर बटर मसाला (ग्रेवी)		13	बूंदी रायता	
4	वेज कोफ्ता		14	आचार	
5	वेज पराठा		15	टमाटर चटनी	
6	प्लेन तवा रोटी		16	दही	
7	वेज पुलाव		17	मूंग हलवा	
8	प्लेन स्टीम राइस		18	काजू कतली	
9	वेज टिक्का / अन्य स्नैक्स		19	आईस्क्रीम	
10	मिनरल वाटर बाटल (250एम.एल.)		20	कॉफी	
			21		

(B) हाई टी

स.क्र.	सामग्रियों का नाम	दर (प्रति प्लेट / व्यक्ति)
1	(i) वेज कटलेट – 75 ग्राम / वेज पकौड़े – 100 ग्राम (ii) आलू चिप्स – 50 ग्राम (iii) वेज सैंडविच – 01 पीस (iv) मिल्क केक / काजू कतली / कलाकंद – 50ग्राम (01) (v) चाय / कॉफी / लेमन टी– 60 एम.एल	

(C) अन्य अप्रतिभागियों हेतु खाद्य सामग्री की दरें

स. क्र.	समग्री का नाम	मात्रा / विवरण	दर प्रति नग / प्लेट	विशेष
1	वेज थाली	04 रोटी+2 सब्जी+दाल फ्राई +चावल+पापड़+सलाद+आचार प्रति थाली		चावल 150 ग्राम+सब्जी 100–100 ग्राम+दाल 100 ग्राम
2	वेज कटलेट	75 ग्राम (प्रति नग)		
3	समोसा	75 ग्राम (प्रति नग)		
4	कचौड़ी	75 ग्राम (प्रति नग)		
5	वेज सेंडविच	प्रति नग		
6	इडली+चटनी+सांभर	02 पीस इडली (प्रति प्लेट)		

7	बड़ा+चटनी+सांभर	02 पीस बड़ा (प्रति प्लेट)		
8	वेज पकौड़ा	150 ग्राम (प्रति प्लेट)		
9	गुलाब जामुन	50 ग्राम (प्रति नग)		
10	कॉफी	60 एम.एल. (प्रति कप)		
11	चाय	60 एम.एल. (प्रति कप)		
12	लेमन टी	6 एम.एल. (प्रति कप)		
13	लस्सी	150 ग्राम (प्रति गिलास)		
14	चाऊमिन	100 ग्राम (प्रति प्लेट)		
15	वेज पुलाव	150 ग्राम (प्रति प्लेट)		
16	दही	100 ग्राम (प्रति कटोरी)		
17	छाछ	100 एम.एल. (प्रति गिलास)		

दिनांक ....

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

फर्म की सील ....